दिल्ली में जामिया नगर हिंसा मामला

शरजील व अन्य को बरी करने का आदेश आंशिक रूप से रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मार्च।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम और कार्यकर्ताओं आसिफ इकबाल तन्हा एवं सफूरा जरगर सहित 11 लोगों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को आंशिक रूप से रद्द कर दिया तथा उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया इमाम, तन्हा और जरगर सहित 11 आरोपियों में से नौ के खिलाफ दंगा करने एवं अवैध रूप से एकत्र होने का आरोप बनता है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से इनकार नहीं है लेकिन यह अदालत अपने कर्तव्य को लेकर जागरूक है और इस मुद्दे में इसी तरह से फैसला करने की कोशिश की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार शर्तों के साथ होता है। संपत्ति और शांति को नुकसान पहुंचाना कोई अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा या हिंसक भाषणों के कृत्य संरक्षित नहीं है और कहा कि प्रथम दृष्टया, जैसा कि वीडियो में देखा गया है, कुछ प्रतिवादी भीड़ की पहली पंक्ति में थे, अधिकारियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे और हिंसक रूप से अवरोधकों को धक्का दे रहे थे।

यह मामला दिसंबर 2019 में यहां जामिया नगर इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा से संबंधित है। अदालत के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।

निचली अदालत ने चार फरवरी के अपने आदेश में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उन्हें पुलिस द्वारा 'बलि का बकरा' बनाया गया और असहमति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि उसे दबाया जाना चाहिए। निचली अदालत ने 11 आरोपियों को बरी करते हुए एक अन्य आरोपी मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

मामले में निचली अदालत ने जिन 11 लोगों को बरी किया है उनमें इमाम, तन्हा, जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा खान, मोहम्मद अबुजर, मोहम्मद शोएब, उमैर अहमद, बिलाल नदीम और चंदा यादव शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि कासिम, अनवर, खान, अहमद, नदीम, इमाम, यादव और जरगर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (गैरकानूनी तौर पर जमा होना), 147 (दंगा), 149 (अगर गैरकानूनी जमावड़े में शामिल किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, तो ऐसे जमावड़े का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा), 186 (लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 427 (शरारत के कारण नुकसान) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून के प्रावधानों के तहत आरोपित किया है।

आरोपपत्र के तहत उन पर लगाए गए बाकी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने अबुजर और शोएब पर आईपीसी की धारा 143 (गैर कानूनी रूप से जमा होना) के तहत आरोप लगाया और आरोपपत्र में लगाए गए अन्य सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने तन्हा को आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 435 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत) के आरोप से मुक्त कर दिया और उसके खिलाफ दंगा भड़काने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए।

सात साल में 61.45 लाख परिवारों के घर का सपना पूरा

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 28 मार्च।

सात साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) केवल 61.45 लाख परिवारों के लिए घर बनाने में मदद कर पाई, जबकि लक्ष्य था 122.69 लाख आवास निर्माण का। यानी सात साल में लक्ष्य का केवल पचास फीसद पूरा हो पाया है। 107.3 लाख आवास निर्माण की योजनाएं ही शुरू हो पाई हैं। आवासन और शहरी कार्य संबंधित स्थायी समिति ने संसद में यह रिपोर्ट पेश की है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएमएवाइ मिशन के तहत 122.69 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत किए गए इन घरों में से दिसंबर 2022 तक 107.3 लाख घरों के निर्माण की प्रक्रिया चालू है। मंत्रालय के मुताबिक 61.45 लाख परिवारों को निर्मित किए गए आवास सौंपे गए हैं।

समिति की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अक्तूबर 2022 तक त्रिपुरा को छोड़ कर पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न भौगोलिक और आर्थिक कारण से पूरे किए गए घरों का फीसद 50 फीसद से भी कम है। समिति का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण नहीं किए जाने के कारणों की जांच की जानी चाहिए और इनके निर्माण में तेजी लानी चाहिए ताकि 31 दिसंबर 2024 तक तय किए गए लक्ष्य को वक्त पर प्राप्त किया जा सके।

जहां झुग्गी वहीं मकान योजना (इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट) के तहत बनने वाले मकानों के मामले में भी समिति ने रिपोर्ट दी है कि इस श्रेणी में कुल 14.35 लाख आवास बनने की मांग की थी, इस योजना में 'वर्टिकल' योजना के तहत केवल 4.33 लाख घरों को ही स्वीकृत प्रदान की गई है। इस योजना में भी प्रगति की रफ्तार धीमी रही है। इसमें 99,000 मकान ही सुपुर्द किए गए हैं, जो कि केवल 23 फीसद है और 1.08 लाख आवास ऐसे हैं, जिनका निर्माण शुरू ही नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया के धीमे होने के लिए मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पर कई अन्य कारणों को जिम्मेवार ठहराया है।

सभी के लिए आवास योजना पर काम करे केंद्र सरकार : केंद्र सरकार ने विभिन्न चार योजनाओं के तहत कुल दो करोड़ घर देने की योजना तैयार की थी। इसके तहत 1.8 करोड़ 'स्लम' परिवार और 20 लाख 'गैर स्लम' परिवारों को आवास दिए जाने थे। जबकि सामने आया था कि ऐसे आवास की वैध मांग 123 करोड़ है। इस मांग को मिशन के अनुमान से काफी कम आंका गया है। इस मामले में समिति ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी तरफ से स्वतंत्र शहरी आवास आवश्यकता मूल्यांकन के संबंध में कोई भी आकलन नहीं किया गया था।

'राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता षड्यंत्र कर खत्म की गई'

जयपुर, 28 मार्च (भाषा)।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा के प्रति 'अयोग्य' ठहराए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि उनकी सदस्यता षड्यंत्र पूर्वक समाप्त की गई है।

गहलोत ने कहा,'राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई यह एक षड्यंत्र के द्वारा की गई है।'

गहलोत मंगलवार को बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, इस यात्रा से अचानक जलजला उत्पन्न हुआ तो उनकी (भाजपा) 'सोशल मीडिया आर्मी' समझ गई कि अब हमारी चलने वाली नहीं है। षड्यंत्र करके इस मामले का फैसला हुआ और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, अदालत द्वारा दिए गए एक महीने के स्थगन की भी परवाह नहीं की गई। गहलोत ने कहा कि कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और कहां जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस राहुल गांधी के पिता और दादी देश के लिए शहीद हो गए, उससे आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रहे।'

सहयोगी पपलप्रीत के साथ बिना पगड़ी के दिखा अमृतपाल

चंडीगढ़, 28 मार्च (भाषा)।

अलगाववादी अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वह अपने प्रमुख सहयोगी पपलप्रीत सिंह के साथ दिख रहा है। वीडियो में अमृतपाल सिंह बिना पगड़ी के और मास्क पहने हुए दिख रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज पर कोई तिथि नहीं है और यह दिल्ली के एक बाजार का बताया जा रहा है। इसमें भगोड़ा अमृतपाल काला चश्मा पहने सड़क पर चलते हुए दिख रहा है, जबकि पपलप्रीत सिंह एक बैग के साथ उसके पीछे चलते दिख रहा है।

इस नए फुटेज पर पंजाब पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह वीडियो अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के एक दिन बाद सामने आया है। उक्त तस्वीर में दोनों आरामदेह मुद्रा में दिखते हैं और अमृतपाल सिंह पेय पदार्थ की कैन पकड़े नजर आये थे। तस्वीर में दिख रहा पपलप्रीत सिंह अमृतपाल सिंह का मार्गदर्शक बताया जाता है। वह कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था।अठारह मार्च को अमृतपाल और उसके संगठन 'वारिस पंजाब दे' के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद से उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, पुलिस अमृतपाल के बेहद करीब

चंडीगढ़, 28 मार्च (जनसत्ता)।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया है कि पुलिस टीमें अमृतपाल के बेहद करीब हैं। उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मंगलवार को हाईकोर्ट में अमृतपाल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश की।

वारिस पंजाब दे संगठन द्वारा अमृतपाल के गायब होने के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

> *वारिस पंजाब* दे संगठन द्वारा अमृतपाल के गायब होने के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा कि अमृतपाल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है और वह भेष बदल बदलकर भाग रहा है।

एजी ने हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस टीमें अमृतपाल के बेहद करीब हैं। उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतपाल की आए दिन सामने आ रही नई-नई वीडियो तथा फोटो को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने उसके वकील को कहा कि अगर अमृतपाल के पुलिस हिरासत में होने को लेकर कोई सबूत है तो वह अदालत में दें अदालत बिना किसी देरी के वारंट आफिसर नियुक्त करेगी।

अदालत ने अमृतपाल के पुलिस हिरासत में होने तथा गायब होने के मुद्दे पर पंजाब पुलिस तथा अमृतपाल के वकीलों को अदालत में हलफनामा दायर करने के निर्देश जारी किए हैं।

अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से हल्फिया बयान दिए जाने के बाद ही अदालत कोई फैसला देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

सहकारी बैंक से संबंधित धनशोधन मामले में 114 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 28 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक से संबंधित धनशोधन मामले में 114 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कुर्क की गई 21 संपत्तियां खाली जमीन, आवासीय मकान, व्यावसायिक एवं औद्योगिकी इमारत और 3.15 करोड़ की नकदी के रूप में हैं। धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत कुर्क की गई सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 114.19 करोड़ रुपए है।

सिविल जज (सी0डि0) /व्यरित न्यायालय गाजियाबाद

न्यायालय सिविल जज (सी.डि./एफ.टी.सी.) गाजियाबाद।
वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आदेश 5 कायदा 1 व 5)
इजराय संख्या 01/2016

इण्डियन ओवरसीज बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि बैंकिग कम्पनीज एक्वीजिवीसन एण्ड ट्रांसफर आफ अण्डरटेकिंग एक्ट 1970 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और जिसका मुख्य कार्यालय 762, अन्ना सलाय चेन्नई है और जिसकी एक शाखा सेक्टर –15, नोएडा, जिला जी .बी. नगर है जिसका कार्य प्रबंन्धक द्वारा किया जाता है।

बनाम

डा0 नम्रता कौशल पत्नी श्री सुशांत कौशल निवासी मकान नं. एच–301, टावर–ए, अजनारा प्राईड प्लाट नं0 02, सेक्टर–4बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद। वर्तमान पता मकान सं0 ई–401, फेज–I, आनन्दपुरम खोका जुनवानी रोड, पी.एस. सुपला, भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़।

प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत धनवसूली अंकन 5.03.198/– रूपये दायर किया है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 31–03–2023 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम कुतलिल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैंसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 28/2/2023 जारी किया गया।

हस्ता/– आदेशानुसार
मुसरिम
सिविल जज (सी0डि0/व्यरित न्यायालय गाजियाबाद
न्यायालय सिविल जज (सी.डि./एफ.टी.सी.) गाजियाबाद।

पीड़िता के मुकरने पर भी आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराया

ठाणे (महाराष्ट्र), 28 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र में, यहां एक जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर 42 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 18 साल की भतीजी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया और उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी लेकिन इसके बावजूद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी पर 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप सफलतापूर्वक साबित किए। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत ए कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि अक्तूबर 2019 में जब पीड़िता से उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया था तब वह 18 साल की थी और अनाथ थी। वह अपने रिश्तेदार के घर भेजे जाने से पहले ठाणे जिले के मुंब्रा शहर में एक अनाथालय में रह रही थी।

देश में कोरोना संक्रमण के 1,573 नए मामले आए

नई दिल्ली, 28 मार्च (भाषा)।

भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,573 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़ कर 4,47,07,525 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 10,981 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से चार लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,841 हो गई। वहीं, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है।

भारत में संक्रमण की दैनिक दर 1.30 फीसद और साप्ताहिक दर 1.47 फीसद है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 10,981 लोगों का कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02 फीसद है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 फीसद है। अभी तक कुल 4,41,65,703 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 फीसद है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्तूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्तूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा

कानूनी प्रक्रिया के जरिए जल्द संसद में दिखेंगे राहुल गांधी

नई दिल्ली, 28 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि राहुल गांधी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बहुत जल्द संसद में वापस आएंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता की स्थिति में विपक्षी एकता ने एक इमारत खड़ी करने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि अगर यह अधिक टिकाऊ सहयोग की शुरुआत है तो इसके लिए कीमत अदा की जा सकती है।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि जनप्रतिनिधियों के अयोग्य करार दिए जाने से संबंधित कानून में बदलाव अवश्यंभावी हैं क्योंकि राजनीतिक प्रणाली की सफाई करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के पीछे कुछ छिपे हुए आयाम हैं और राहुल गांधी का मामला इसका ही एक उदाहरण लगता है।

प्रपत्र–'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

गोल्डन टोबैको लिमिटेड वडोदरा, मुंबई में तंबाकू उद्योग में परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	**कॉर्पोरेट देनदार का नाम** साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	**गोल्डन टोबैको लिमिटेड** **पैन : AAACG1421A** **सीआईएनः L16000GJ1955PLC067605**
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	गोल्डन टोबैको लिमिटेड,दर्जी पुरा, पी.ओ. अमलियारा, जिला वडोदरा – 390 022 गुजरात, भारत
3.	वेबसाइट का यूआरएल	http://www.goldentobacco.in
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	**1.** गुजरात के वडोदरा के हरनी गांव के आरएस नं.– 587/बी में दर्जीपुरा वडोदरा 390006 **2.** सीटीएस नंबर 382, 385, 386, 387, 415 और 416, गांव विले पार्ले, एसवी रोड, जिला और तहसील मुंबई, महाराष्ट्र 400056 **3.** सर्वेक्षण संख्या 325, गांव धनोत, तालुका कलोल, जिला गांधी नगर, गुजरात 382715 **4.** अगाथा, वरप्पाडु, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 522509 **5.** फ्लैट नंबर 6–ए, 6–बी और 6–सी, फ्लोर नंबर 06 पर, और फ्लोर नंबर 07, गजदर अपार्टमेंट, जुहू तारा रोड, बॉम्बे 49 **6.** सिक्किम टोबैको लिमिटेड (तृतीय–पक्ष) मझीतार, रंगपो, पूर्वी सिक्किम के गोदाम में पड़ी पुरानी मशीनरी
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	5 मिलियन (पीसीस)/हर घंटे
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	**मात्रा** – 64042750 (पीसी), **मूल्य** – रु. 864. 24 लाख (मार्च 2022 तक की स्थिति)
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	15
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	**www.goldentobacco.in** पर उपलब्ध या समाधान प्रोफेशनल को ईमेल **cirp.goldentobacco@gmail.com** भेजकर प्राप्त किया जा सकता है !
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	पात्रता मानदंड (अभिरुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण) **www.goldentobacco.in** पर उपलब्ध है या **cirp.goldentobacco@gmail.com** पर ईमेल भेजकर समाधान प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**13 अप्रैल 2023**
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**23 अप्रैल 2023**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**28 अप्रैल 2023**
13.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**cirp.goldentobacco@gmail.com**

विचित्र नारायण पाठक
समाधान प्रोफेशनल, गोल्डन टोबैको लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01353/2018-2019/12063
पताः 120, झरनेश्वर कॉलोनी, मधुबन विहार, नियर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462047(म.प्र).
ईमेलः cirp.goldentobacco@gmail.com

तिथि : 29.03. 2023
स्थान : भोपाल

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बोम्मई अब तक टालते ही रहे मंत्रिमंडल विस्तार

बंगलुरु, 28 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के समय को लेकर बार-बार टाल कर कर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बड़ी चतुराई से पार्टी के एक वर्ग के भीतर संभावित असंतोष से बचने में कामयाब रहे। बोम्मई नीत सरकार मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जब उतरेगी तो उनके मंत्रिमंडल में छह पद खाली रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कुछ दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के एक सप्ताह बाद सरकार की कमान संभालने वाले बोम्मई ने तीन अगस्त 2021 को 29 मंत्रियों को शामिल कर अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इससे मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 30 हो गई थी जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की स्वीकृत संख्या 34 है। हालांकि, एक ठेकेदार को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे और मंत्री उमेश कट्टी के निधन के कारण मौजूदा मंत्रिमंडल की संख्या 28 तक सिमट गई।

> *बीएस येदियुरप्पा* के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के एक सप्ताह बाद सरकार की कमान संभालने वाले बोम्मई ने तीन अगस्त 2021 को 29 मंत्रियों को शामिल कर अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था।

मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होने लगा था और बोम्मई पर पार्टी के पुराने नेताओं या वफादारों या 'अन्य पार्टी से आए नेताओं' के बीच सामंजस्य बनाते हुए स्थिति संभालने का जिम्मा था। पार्टी के कई वफादार पुराने नेताओं ने जनता दल (सेकु) और कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री बनाने पर नाखुशी जताई थी। केवल छह सीटें बची रहने और कई दावेदार होने के कारण मुख्यमंत्री पर शुरुआत से ही मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव था।

बोम्मई ने कभी मंत्रिमंडल विस्तार से इनकार नहीं किया। वह कहते रहे कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे जबकि पार्टी के कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह समेत आला कमान के प्रतिनिधि यह कहते रहे कि यह मुख्यमंत्री का फैसला होगा और वह नेतृत्व से चर्चा करके इस पर फैसला लेंगे। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें शुरू हो जाती लेकिन वह कभी कोई सकारात्मक खबर लेकर नहीं आए। उत्तराखंड तथा गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले उन राज्यों में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कर्नाटक में मंत्रिमंडल में आमूल-चूल बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। चुनाव नजदीक आने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। कई उम्मीदवारों का मानना था कि इस वक्त यह कवायद उपयोगी साबित नहीं होगी क्योंकि नए मंत्रियों के पास अपने आप को साबित करने का बहुत कम वक्त बचेगा।

Reliance
Industrial Infrastructure Limited

पंजीकृत कार्यालयः एनकेएम इंटरनैशनल हाउस, ५ वीं मंजिल, १७८ बैकबे रिक्लेमेशन, एलआईसी योगक्षेम बिल्डिंग के पीछे, बाबूभाई चिनाई रोड, मुंबई – ४०० ०२०
फोनः +९१-२२-४४७७ ९०५३ • फैक्सः +९१-२२-४४७७ ९०५२ • ई-मेलः investor_relations@riil.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों (''नियम'') के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (''आईईपीएफ'') प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी अभी तक संबंध नियत तिथियों पर आईईपीएफ प्राधिकरण को सभी ऐसे शेयर्स हस्तांतरित कर चुकी हैं, जिनके वित्त वर्ष २०१४-१५ या उसके पहले के लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से बकाया है या उनपर कोई दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने दिनांक २८ मार्च, २०२३ के अपने पत्र के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को उचित कारवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०२३-२४ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले हैं।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट **www.riil.in** पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांश के विवरण और शेयर्स जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वेब लिंक **http://www.riil.in/transfer_suspense_accountiepf.html** देखें।

शेयरधारक ध्यान दे कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, शेयरधारक बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, तो आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा कर सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, जो फिजिकल रूप में शेयर्स धारण करते है और जिनके शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कंपनी डीमैटरियलाइज करने के उद्देश्य से और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर-परक्राम्य मान लिए जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि कंपनी ३० जुलाई, २०२३ या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से कोई भी संवाद (बेदावा लाभांश/न भुनाया हुआ लाभांश) प्राप्त नहीं करती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दृष्टिकोन के साथ, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरों को डीमटेरियलाइज़ कर आईईपीएफ़ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को इस विषय पर या नियमों पर कोई प्रश्न है तो वे, श्री वी. बालकृष्णन, उपाध्यक्ष, **केफ़िन टेक्नोलॉजीस् लिमिटेड,** कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजंट्स से, पताः सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गचिबोवली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२, टोल फ्री नं.: १८००-३०९-४००१ (सभी कार्य दिवसो पर (भारतीय समयानुसार) सुबह ९:०० बजे से (भारतीय समयानुसार) शाम ६:०० बजे), ई-मेलः riilnkm@kfintech.com, वेबसाइटः www.kfintech.com यहां संपर्क करें।

रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/–
अमितकुमार मुंढे
कम्पनी सचिव और कंम्पलायंस ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : २८ मार्च, २०२३

www.riil.in